न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2025-525Ju2025-244 Fatama Vs Abdul Latif etc

फातमा पुत्री मेवा दीने खॉ, जाति मुसलमान निवासी-अखेराज की ढाणी, मण्डला तहसील बाप जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. अब्दुल लतीफ पुत्र अजीज खान
2. नूर खातू पत्नी पीरबक्स
3. सरादीन पुत्र निम्बे खान के कायम मुकाम-
   3.1. गुलामनबी पुत्र सरादीन
   3.2. बशीर खॉन पुत्र सरादीन
   3.3. नसीर खॉन पुत्र सरादीन
   3.4. जमाली खातु पत्नी सरादीन
   जाति सिन्धी मुसलमान निवासीगण नूरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 06 सितंबर 2024 राजस्व वाद संख्या 251/2022 अब्दुल लतीफ बनाम सरादीन इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 08 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 251/2022 अब्दुल लतीफ बनाम सरादीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2024 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 10 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीनी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थीनी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अपीलार्थीनी को पक्षकार संयोजित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 255 रकबा 28.9431 हैक्टेयर ग्राम नूरे की भूर्ज तहसील बाप के संबंध में धारा 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 07 मार्च 2024 के जरिये वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2024 के जरिये वाद स्वीका कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक वाद अनवान फातमा बनाम अलशेर खॉन वगैरा के नाम से सहायक कलेक्टर बाप के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें विवादित भूमि खेत खसरा संख्या 255 के संबंध में घोषणा की इस्तदुआ कर रखी है। उक्त वाद में मांननीय न्यायालय से स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है, जिसकी जांनकारी प्रत्यर्थीगण को होने के बावजूद भी उन्होंने बाले बाले वाद प्रस्तुत कर निर्णय पारित करवाया है। इसलिए अपीलार्थी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलार्थीनी को व्यथित पक्षकार मानकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीनी को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उसे समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। वर्तमान में जब अपीलार्थीनी अपने खेत में कार्य कर रही थी तो प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मौके पर आये तथा धमकी दी कि उसने भूमि अपने नाम करवा दी है। अब वे उसे बेदखल कर देंगे तथा भूमि का आगे बैचान कर दिया है, जिस पर अपीलार्थीनी ने बाप न्यायालय आकर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा न्यायालय में पत्रावली के बारे में पता किया जिस पर उन्हें निर्णय होना बताया गया, जिस पर अपीलार्थीनी द्वारा दिनांक 29-08-2025 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल तैयार होकर प्राप्त नहीं हुई है, जिस पर आलोच्य आदेश की फोटो प्रति प्राप्त की गई, जिसे पढने पर प्रथम बार जिस पढने पर प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलार्थीनी को अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावें।

गुणावगुण पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि वक्त सेटलमेंट निम्बा पुत्र जसवन्ता की खातेदारी में दर्ज थी, जिसके लाऔलाद देहान्त होने पर वादग्रस्त आराजीयात उसके भाई मेवा पुत्र जसवन्ता में निहित हो गई। मेवा पुत्र जसवन्ता के फौत होने पर वादग्रस्त आराजीयात उसके विधिक उत्तराधिकारी अपीलार्थीनी व उसकी बहने व भाई अलशेर इत्यादि में निहित हो गई थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा निम्बा के फौत होने पर भूमि सरादीन व उस्मान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाम दर्ज कर दी गई। अपीलार्थीनी मेवा की पुत्री होने से विवादित भूमि मे पुत्री होने के नाते 1/9 हिस्सा खातेदारी बंट में आता है। अपीलार्थीनी का उक्त हिस्से की घोषणा बाबत वाद सहायक कलेक्टर बाप के न्यायालय में लम्बित है। रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपीलार्थीनी को पक्षकार बनाये बिना ही वाद प्रस्तुत कर निर्णय करवाया है। अपीलार्थीनी मुस्लिम परिवार की सदस्य है तथा अपने पिता के हिस्से में 1/9 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि सरादीन व उस्मान के नाम गलत रूप से दर्ज की गई तथा उनके द्वारा किये गये सारे बैचाननामें अपीलार्थीनी के हिस्से तक शून्य व निष्प्रभावी है। अपीलार्थीनी वाद मे आवश्यक पक्षकार थी, जिन्हें वाद में पक्षकार नही बनाया गया। इस कारण वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य था तथा पक्षकारों का असंयोजन होने के कारण भी वाद खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीनी अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार संयोजित नहीं होने से वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नही रख सकी तथा उसे सुनवाई का अवसर नही मिल सका। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07-03-2024 व 06-09-2024 निरस्त किया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर मूल वाद को विधि अनुसार निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण/रेस्पो. वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है तथा वादीगण द्वारा विभाजन के वाद में वादग्रस्त आराजीयात के सभी रेकर्डेड खातेदारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए विचारण न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद प्रस्तुत किया तथा विचारण न्यायालय द्वारा सभी रेकर्डेड खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का विधिनुसार निस्तारण किया गया है। अपीलार्थीनी वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार दर्ज नहीं है तथा न ही मूल वाद में पक्षकार संयोजित थी। यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम विधि अनुसार पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद ही पोषणीय नहीं है, फिर भी अपीलार्थीनी के खातेदारी अधिकार मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होने है। अपीलार्थीनी अपने अधिकारों का निर्धारण करवाने से पूर्व विभाजन के वाद पक्षकार संयोजित होने की अधिकारिणी नहीं है तथा न ही वह हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, सारहीन, एवं म्याद बाधित होने से खारिज करने योग्य है, जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीगण/रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 255 रकबा 28.9431 हैक्टेयर के संबंध में धारा 53, 188 एवं 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के दर्ज काबिज खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए माफिक अनुतोष वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किया जाना प्रकट होता है। अपीलार्थीनी का कथन है कि वह वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार मेवे खान की पुत्री है तथा मेवे खान की फौतेदगी पर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात में अपने पिता के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्से में से 1/9 हिस्से की घोषणा बाबत विचारण न्यायालय में वाद पेश किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थीनी द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है अपीलार्थीनी वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार दर्ज नहीं है। अपीलार्थीनी के खातेदारी अधिकार मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होने है। अपीलार्थीनी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार दर्ज हुए बिना विभाजन के वाद में पक्षकार बनने की अधिकारिणी नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से वर्तमान में अपीलार्थीनी के अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने से वह हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी नहीं ठहरती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पायी जाती है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 251/2022 अब्दुल लतीफ बनाम सरादीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मार्च 2024 एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2025-525Ju2025-244 Fatama Vs Abdul Latif etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
फातमा पुत्री मेवा दीने खॉ, जाति मुसलमान निवासी-अखेराज की ढाणी, मण्डला तहसील बाप जिला फलोदी।	**ब न ाम**	1. अब्दुल लतीफ पुत्र अजीज खान 2. नूर खातू पत्नी पीरबक्स 3. सरादीन पुत्र निम्बे खान के कायम मुकाम- 3.1. गुलामनबी पुत्र सरादीन 3.2. बशीर खॉन पुत्र सरादीन 3.3. नसीर खॉन पुत्र सरादीन 3.4. जमाली खातु पत्नी सरादीन जाति सिन्धी मुसलमान निवासीगण नूरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 06 सितंबर 2024 राजस्व वाद संख्या 251/2022 अब्दुल लतीफ बनाम सरादीन इत्यादि

------- 0 -------

यह अपीले बतारीख 08 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल, मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 251/2022 अब्दुल लतीफ बनाम सरादीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मार्च 2024 एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितंबर 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 08 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर